F.No. IWT-11011/123/2015-IWT Government of India Ministry of Ports, Shipping & Waterways (IWT Section)

Transport Bhawan 1, Parliament Street, New Delhi Dated the 23rd February, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Uploading on the website on Ministry of Ports, Shipping & Waterways the draft subordinate rules to be framed under delegated legislation of Inland Vessels Act, 2021 – reg.

Please upload the following draft subordinate rule (sent through email) to be framed under delegated legislation of Inland Vessels Act, 2021 on the website of MoPSW for inviting objections/suggestions, to the following rules:

Draft Inland Vessels [Manning] Rules, 2022

- 2. Notice Board/What's New webpage will contain following content:
 - "The Draft Inland Vessels (Manning) Rules 2022, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), are hereby published for information of all the persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days.
 - Objections or suggestions, if any, to the above draft rules may be addressed to the Director (IWT), Ministry of Ports, shipping & Waterways, Room No. 439, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi- 110001 or by email at <u>abhay.sarode@gov.in</u> and <u>uttam.mishra27@gov.in</u>."

140m 23/2/2022

(Uttam Kumar Mishra) Under Secretary to the Govt. of India Tel: 23357558

Director, NIC Ministry of Ports, Shipping & Waterways Transport Bhawan, New Delhi- 110001.

REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23022022-233678 CG-DL-E-23022022-233678

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139]नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 2022/फाल्गुन 3, 1943No. 139]NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 2022/PHALGUNA 3, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 142(अ).—अंतर्देशीय जलयान [चालक दल] नियम 2022 का मसौदा, जिसे केंद्र सरकार अंतर्देशीय धारा 106 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है। 2021 के अंतर्देशीय जलयान अधिनियम (2021 का 24), इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त मसौदे पर उस तारीख से तीस दिनों के बाद विचार किया जाएगा जिस तारीख को राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं;

इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, निदेशक (आईडब्ल्यूटी), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कमरा नंबर 439, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को या <u>abhay.sarode@gov.in</u> और uttam.mishra27@gov.in ईमेल द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियां, जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर संबोधित किया जा सकता हैं;

कथित मसौदा नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से विनिदष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. सक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अन्तर्देशीय जलयान [चालक दल] नियम (2022) है।

(2) ये राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से अंतर्देशीय जलयान (अधिनियम), (2021) (2021 का 24) अभिप्रेत है.

(ख) "अन्तर्देशीय पोत" का अर्थ अधिनियम की धारा 3 (म) के तहत परिभाषित किसी भी यांत्रिक रूप से चालित अन्तर्देशीय जलयान से है।

(ग) "जोन" से अभिप्रेत है ऐसा अंतर्देशीय जल क्षेत्र, जो राज्य सरकार इन नियमों के लिए निम्नलिखित अधिकतम उल्लेखनीय तरंग ऊंचाई मानदण्ड पर निर्भर करते हुए, जोन 1, जोन 2 और जोन 3 के रूप में अधिसूचना द्वारा घोषित करे:

क. जोन 1 से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र (जोन 2 अथवा जोन 3 के अलावा) जहां अधिकतम उल्लेखनीय तरंग ऊंचाई 2.0 मीटर से अधिक नहीं है।

ख. जोन 2 से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र (जोन 3 के अलावा) जहां अधिकतम उल्लेखनीय तरंग ऊंचाई 1.2 मीटर से अधिक नहीं है।

ग. जोन 3 से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र जहां अधिकतम उल्लेखनीय तरंग ऊंचाई 0.6 मीटर से अधिक नहीं है।

(घ) किसी जलयान का सकल टनभार (जीटी) अंतर्राष्ट्रीय टनभार अभिसमय 1969 के अनुसार परिकलित सकल टनभार है।

(ङ) इंजनों की कुल शक्ति किलोवाट प्रोपल्शन इंजनों की कुल शक्ति है।

(2) प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं की गई हैं, का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में विनिर्दिष्ट किया गया है।

3. अंतर्देशीय जलयान:

इन नियमों के प्रयोजन के लिए अंतर्देशीय जलयानों को निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

(1) जो जलयान श्रेणी क में आते हैं, वे निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार के डेकनुमा जलयान होंगे:

(क) जलयान जो [लम्बाई में 24 मीटर] से अधिक हैं;

(ख) जलयान अथवा रो-रो यात्री फेरी जो [50] से अधिक यात्री ले जाते हैं;

(ग) खींच कर ले जाने के लिए सज्जित सभी जलयान, जिनकी बोलार्ड पुल क्षमता [10 टन] से अधिक है;

(घ) कार्गो के रूप में थोक में पेट्रोलियम माल, रसायन अथवा तरलीकृत गैसों को वहन करने के लिए डिजाइन और निर्माण किए गए जलयान;

(ड.) खतरनाक माल वहन करने वाले जलयान।

श्रेणी क जलयानों को सर्वेक्षण के अंतर्गत और किसी वर्गीकरण सोसाइटी, जो अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सोसाइटी संघ (आईएसीएस) की सदस्य है, की अपेक्षाओं के अनुसार डिजाइन, निर्मित और अनुरक्षित किया जाएगा,

(2) श्रेणी 'ख' के जलयान श्रेणी क अथवा श्रेणी ग से भिन्न हैं।

श्रेणी ख के जलयानों को किसी वर्गीकरण सोसाइटी, जो अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सोसाइटी संघ (आईएसीएस) की सदस्य है, के सर्वेक्षण के अंतर्गत डिजाइन, निर्मित और अनुरक्षित किया जाएगा, किसी वर्गीकरण सोसाइटी के सर्वेक्षण के अंतर्गत डिजाइन और निर्मित जो कि अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सोसाइटी संघ (आईएसीएस) की सदस्य है और जो अभिहित प्राधिकारी के सर्वेक्षण के अंतर्गत अनुरक्षित किया जाएगा,

(3) श्रेणी 'ग' जलयान लंबाई में 10 मीटर से कम हैं।

श्रेणी ग जलयानों को किसी वर्गीकरण सोसाइटी, जो अन्तर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सोसाइटी संघ (आईएसीएस) की सदस्य है, के सर्वेक्षण के अंतर्गत डिजाइन, निर्मित और अनुरक्षित किया जाएगा अथवा अभिहित प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझे गए डिजाइन, निर्माण और सर्वेक्षण के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार निर्मित किया जाएगा और अभिहित प्राधिकारी के सर्वेक्षण के अंतर्गत अनुरक्षित किया जाएगा।

4. न्यूनतम चालक दल

(1) प्रत्येक अन्तर्देशीय जलयान में इन नियमों के अधीन यथा निर्धारित ऑन-बोर्ड पर न्यूनतम चालक दल होगी।

(2) प्रत्येक अन्तर्देशीय जलयान पर लागू न्यूनतम चालक दल को सर्वेक्षणकर्ता द्वारा सर्वेक्षण के प्रमाणपत्र में, जलयान के प्रकार और आकार, इसके प्रचालन क्षेत्र, इंजन क्षमता और ऐसे अन्य कारकों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, दर्ज की जाएगी, जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित किए जा सकते हैं।

(3) प्रत्येक स्व-चालित अन्तर्देशीय जलयान में प्रचालनाधीन होने पर बोर्ड पर न्यूनतम निम्नलिखित चालक दल होगा:

	डेक चालक दल			
	जीटी 500> 500≤ जीटी 1600>		जीटी ≥1600	
	(क) एक मास्टर इनलैंड मास्टर श्रेणी 3 / सेरांग प्रमाणपत्र के साथ	(क) एक मास्टर जिसके पास इनलैंड मास्टर श्रेणी 2 का प्रमाणपत्र हो।	(क) एक मास्टर जिसके पास इनलैंड मास्टर श्रेणी1 प्रमाणपत्र हो। (ख) इनलैंड मास्टर श्रेणी2 प्रमाणपत्र के साथ एक मुख्य अधिकारी अथवा इनलैंड मास्टर श्रेणी 3 के प्रमाणपत्र के साथ एक मास्टर और जलयान पर मास्टर श्रेणी 3 के रूप में 2 वर्ष का अनुभव >500 जीटी।	
	इंजन चालक दल			
श्रेणी क	किलोवाट <425 प्रणोदन शक्ति	प्रणोदन शक्ति: 425 ≤ किलोवाट <750	किलोवाट ≥ 750 प्रणोदन शक्ति	
	(क) इंजन ड्राइवर श्रेणी 2 प्रमाण पत्र के साथ एक इंजीनियर	(क) इनलैंड इंजन ड्राइवर श्रेणी 1 प्रमाणपत्र के साथ एक इंजीनियर	(क) इनलैंड इंजीनियर प्रमाण पत्र के साथ एक मुख्य अभियंता। (ख) इनलैंड इंजन ड्राइवर श्रेणी 1 प्रमाणपत्र के साथ एक सैकेंड इंजीनियर या 2 वर्ष के अनुभव के साथ इनलैंड इंजन ड्राइवर क्लास 2 सर्टिफिकेट।	

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

	रेटिंग			
	जीटी <500 और जीटी ≥ 500 या किलोवाट ≥ 425 किलोवाट<425			
	कुर्किंग के कर्तव्यों में भाग लेने के लिए चार 'जनरल पर्पस			
डेक चालक दल			ाक दल	
	जीटी <500	500 ≤	जीटी ≥ 1600	
	(क) एक मास्टर इनलैंड मास्टर श्रेणी 3 / 'सेरांग' प्रमाण पत्र के साथ	(क) एक मास्टर के साथ इनलैंड मास्टर श्रेणी 2 प्रमाणपत्र	(क) एक मास्टर सहित इनलैंड मास्टर श्रेणी 1 प्रमाण पत्र (ख) इनलैंड मास्टर श्रेणी 2 प्रमाण पत्र के साथ एक मुख्य अधिकारी	
	इंजन चालक दल			
	किलोवाट <425 प्रणोदन शक्ति	प्रणोदन शक्तिः 425 ≤ किलोवाट <750	किलोवाट ≥ 750 प्रणोदन शक्ति	
श्रेणी ख	(क) इनलैंड इंजन ड्राइवर श्रेणी 2 प्रमाण पत्र के साथ एक इंजीनियर	(क) इनलैंड इंजन ड्राइवर श्रेणी1 प्रमाणपत्र वाला एक इंजीनियर [या इनलैंड इंजन ड्राइवर श्रेणी 2 प्रमाण पत्र के साथ एक इंजीनियर, जलयान पर इंजन चालक वर्ग 2 के रूप में 2 वर्ष का अनुभव <425 किलोवाट]	(क) इनलैंड इंजीनियर प्रमाण पत्र के साथ एक मुख्य अभियंता अथवा इनलैंड इंजन ड्राइवर श्रेणी 1 प्रमाण पत्र के साथ एक मुख्य अभियंता इंजन चालक श्रेणी 1 के रूप में ≥ 750 किलोवाट के साथ जलयान पर 2 वर्ष के अनुभव सहित] (ख) इनलैंड इंजन ड्राइवर क्लास 2 सर्टिफिकेट के साथ एक सैकेंड इंजीनियर अथवा 2 वर्ष के अनुभव के साथ एक इनलैंड इंजन ड्राइवर क्लास 2।	
	रेटिंग			
	जीटी <500		जੀਟੀ≥ 500	
	(क) डेक हैंड्स, इंजन हैंड्स और कुर्किंग के कर्तव्यों में भाग लेने के लिए दो 'जनरल पर्पस रेटिंग'	डेक हैंड्स, इंजन हैंड्स और कुर्किंग के कर्तव्यों में भाग लेने के लिए तीन 'जनरल पर्पस रेटिंग'		
श्रेणी ग: वि	 निर्दिष्ट प्राधिकारी को न्यूनत	 म चालक दल स्वीकार्य होनी चाहिए	र्।	
ध्यान दें: सेरंग, इंजन चालक श्रेणी 2 और जीपी रेटिंग के मामले में, नियमों के लागू होने के 2 वर्षों के भीतर उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा सकता है।				

(4) अधिनियम की धारा 3 (म) (ii) में परिभाषित, 15 मीटर से कम लंबाई के प्रत्येक गैर-स्व-चालित अन्तर्देशीय जलयान को न्यूनतम एक सामान्य उद्देश्य रेटिंग द्वारा संचालित किया जाएगा और 15 मीटर या उससे अधिक लंबाई के प्रत्येक गैर-स्व-चालित जलयान को न्यूनतम दो सामान्य उद्देश्य रेटिंग द्वारा संचालित किया जाएगा।

(5) 425 किलोवाट से अनधिक कुल प्रणोदन शक्ति के किसी भी स्व-चालित अन्तर्देशीय जलयान को माना जाएगा कि उसने मास्टर और इंजीनियर की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, बशर्ते कि इस तरह के जलयान में, उसके मास्टर और इंजीनियर के रूप में, एक व्यक्ति हो, जिसके पास उपयुक्त श्रेणी के दोनों प्रमाण पत्र हों।

(6) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त उप-नियम (3) में विहित उच्च आदेश की न्यूनतम चालक दल निर्दिष्ट कर सकता है यदि अन्य कारक जैसे कि जलयान के व्यापार के स्वरूप, यात्रा के दिनों की संख्या के लिए जीवन, संपत्ति, पर्यावरण और अन्तर्देशीय जलमार्गों की सुरक्षा के हित में इस तरह के अतिरिक्त चालक दल की आवश्यकता होती है।

5. परीक्षकों की नियुक्ति तथा परीक्षा केन्द्रों को स्थापना

(1) अधिनियम की धारा 36 के अनुपालन में, संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य परीक्षक, योग्यता के ऐसे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों की परीक्षा लेने और उन्हें योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) मुख्य परीक्षक को संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परीक्षकों की उपयुक्त संख्या द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

(3) ऐसे परीक्षा केन्द्रों पर लागू परीक्षा केन्द्रों, मानदण्डों और मानकों की सूची और परीक्षाओं या मूल्यांकनों के आयोजन को संबंधित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों द्वारा विनिदष्ट किया जाएगा।

(4) प्रत्येक परीक्षा केंद्र, स्थानीय आवश्यकताओं के मूल्यांकन के आधार पर विभिन्न ग्रेडों के लिए अपने परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा करेगा, परीक्षा की पर्याप्त आवृत्ति सुनिश्चित करेगा ताकि अभ्यर्थियों को आवेदन करने की तिथि से परीक्षा में बैठने के लिए छह माह से अधिक समय तक इंतजार न करना पड़े।

(5) किसी भी व्यक्ति को मुख्य परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह योग्यता और अनुभव संबंधी निम्नलिखित अपेक्षाओं में से किसी एक को पूरा नहीं करता है:

(क) महानिदेशक जलयान परिवहन द्वारा जारी किए गए मास्टर (एफजी) अथवा एमईओ श्रेणी-l योग्यता का एक प्रमाण पत्र जिसके पास पोत/राज्य समुद्री बोर्डों/महानिदेशक जलयान परिवहन/पत्तनों पर 'सर्टिफिकेटिड आफिसर' के रूप में कम से कम 8 वर्षों के अनुभव हो;

(ख) महानिदेशक जलयान परिवहन द्वारा जारी किए गए मास्टर (एफजी) अथवा एमईओ श्रेणी-II योग्यता का एक प्रमाण पत्र जिसके पास पोत/राज्य समुद्री बोर्डों/महानिदेशक जलयान परिवहन/पत्तनों पर 'सर्टिफिकेटिड आफिसर' के रूप में कम से कम 10 वर्षों के अनुभव हो;

(ग) एसएससी और उससे अधिक की शैक्षिक अर्हता के साथ-साथ एक अन्तर्देशीय जलयान मास्टर क्लास-I अथवा अन्तर्देशीय इंजीनियर प्रमाण पत्र के साथ-साथ अन्तर्देशीय पोतों पर 'सर्टिफिकेटिड आफिसर' के रूप में कम से कम 20 वर्षों की सेवा की हो, जिनमें से कम से कम 5 वर्ष एक मास्टर/मुख्य इंजीनियर की क्षमता में होने चाहिए।

(घ) कम से कम 20 वर्षों के नौकायन अनुभव के साथ एक मास्टर (एनसीवी) अथवा एमईओ श्रेणी III (एनसीवी सीईओ) प्रमाण पत्र धारक हो, जिसमें से कम से कम 5 वर्ष मास्टर / मुख्य अभियंता की क्षमता में होने चाहिए। (ङ) उपर्युक्त (क), (ख) (ग) अथवा (घ) में उल्लिखित अर्हता धारक हो और किसी संस्थान या विभाग में संकाय या परीक्षक के रूप में अनुभव प्राप्त हो/ या सक्षम प्राधिकारी/महानिदेशक जलयान परिवहन/एमएमडी द्वारा अनुमोदित हो।

स्पष्टीकरण: संकाय या परीक्षक के रूप में अनुभव के कार्यकाल को ऊपर दिए गए खंड (क), (ख) (ग) और (घ) के तहत अपेक्षित शिपबोर्ड/अन्तर्देशीय जलयान अनुभव की लिए गिना जा सकता है।

(6) एक मुख्य परीक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा;

(क) राज्य में योग्यता प्रमाण-पत्र के विभिन्न ग्रेडों के लिए परीक्षाओं के समग्र आयोजन का पर्यवेक्षण करना।

(ख) योग्यता प्रमाण-पत्रों के विभिन्न ग्रेडों को समग्र रूप से जारी करने का पर्यवेक्षण करना।

(ग) राज्य में योग्यता प्रमाण-पत्र के विभिन्न ग्रेडों के लिए परीक्षा की आवृत्ति और अनुसूची निर्धारित करना।

(7) किसी भी व्यक्ति को एक परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह योग्यता और अनुभव की निम्नलिखित अपेक्षाओं में से एक अपेक्षा को पूरा नहीं करता है:

(क) जलयान परिवहन महानिदेशक द्वारा जारी किए गए ट्रांसपोर्ट मास्टर (एफजी) या एमईओ श्रेणी l योग्यता के एक प्रमाण पत्र धारक हो तथा पोत/ राज्य समुद्री बोर्डों/ डीजी शिपिंग / बंदरगाहों पर 'सर्टिफिकेटिड आफिसर' के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो;

(ख) जलयान परिवहन महानिदेशक द्वारा जारी किए गए ट्रांसपोर्ट मास्टर (एफजी) या एमईओ श्रेणी II योग्यता के एक प्रमाण पत्र धारक हो तथा पोत/ राज्य समुद्री बोर्डों/ डीजी शिपिंग / बंदरगाहों पर 'सर्टिफिकेटिड आफिसर' के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो;

(ग) एसएससी और उससे अधिक की शैक्षिक अर्हता के साथ-साथ एक 'अंतर्राज्जीय जलयान मास्टर श्रेणी-I' अथवा 'इनलैंड इंजीनियर' प्रमाण पत्र के साथ-साथ अन्तर्देशीय पोतों पर 'सर्टिफिकेटिड आफिसर' के रूप में कम से कम 15 वर्षों की सेवा की हो, जिनमें से कम से कम 5 वर्ष एक मास्टर/मुख्य इंजीनियर की क्षमता में होने चाहिए।

(घ) कम से कम 15 वर्षों के नौकायन अनुभव के साथ एक मास्टर (एनसीवी) अथवा एमईओ श्रेणी III (एनसीवी सीईओ) प्रमाण पत्र धारक हो, जिसमें से कम से कम 5 वर्ष मास्टर / मुख्य अभियंता की क्षमता में होने चाहिए।

(ङ) उपर्युक्त (क), (ख) (ग) अथवा (घ) में उल्लिखित अर्हता धारक हो और किसी संस्थान या विभाग में संकाय या परीक्षक के रूप में अनुभव प्राप्त हो/ या सक्षम प्राधिकारी/महानिदेशक जलयान परिवहन/एमएमडी द्वारा अनुमोदित हो।

स्पष्टीकरण: संकाय या परीक्षक के रूप में अनुभव के कार्यकाल को ऊपर दिए गए खंड (क), (ख) (ग) और (घ) के तहत अपेक्षित शिपबोर्ड/अन्तर्देशीय जलयान अनुभव की लिए गिना जा सकता है।

(8) एक परीक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, नामत:-

(क) किसी परीक्षा केन्द्र पर योग्यता प्रमाण-पत्र के विभिन्न ग्रेडों के लिए परीक्षाओं का आयोजन तथा उनका पर्यवेक्षण करना।

(ख) योग्यता प्रमाण-पत्रों के विभिन्न ग्रेडों को जारी करना।

(ग) उन व्यक्तियों का मूल्यांकन करना जो परीक्षाओं में बैठे और जिन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है और सफल उम्मीदवारों की सूची मुख्य परीक्षक को भेजना। (घ) मुख्य परीक्षक को अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सहायता करना।

(9) इस नियम और अधिनियम की धारा 37 (1) के प्रयोजन के लिए, संबंधित राज्य सरकारें, परीक्षकों द्वारा मुख्य परीक्षक को उपलब्ध कराई की गई रिपोर्ट का मूल्यांकन कर सकती है।

6. सक्षमता प्रमाणपत्र जारी किया जाना

(1) किसी भी उम्मीदवार को इन नियमों के तहत योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि वह न्यूनतम अंक या कुल अंक, जैसा भी मामला हो, प्राप्त नहीं करता है; जिन्हें उसे एक सफल उम्मीदवार घोषित करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्राप्तांक के रूप में निर्णय लिया जाता है।

(2) योग्यता प्रमाण पत्र के प्रत्येक ग्रेड के लिए परीक्षा में एक लिखित और मौखिक परीक्षा शामिल होगी; जो परीक्षा के प्रत्येक ग्रेड के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर परिपत्रों के रूप में जारी किया जा सकता है।

(3) उपर्युक्त उप-नियम (2) इन नियमों के तहत जारी 'सेवा प्रमाण पत्र' जारी करने पर लागू नहीं होता है।

(4) निम्नलिखित ग्रेड के लिए 'योग्यता प्रमाण पत्र' जारी किया जा सकता है, अर्थात्:

(क) डेक विभाग-

- (i) मास्टर श्रेणी 1 प्रमाण पत्र
- (ii) मास्टर श्रेणी 2
- (iii) मास्टर श्रेणी 3 / 'सेरंग' प्रमाण पत्र

(ख) इंजन विभाग-

- (i) इन्लैंड इंजीनियर प्रमाण पत्र
- (ii) इंजन ड्राइवर श्रेणी 1
- (iii) इंजन ड्राइवर श्रेणी 2 प्रमाण पत्र

7. मास्टर और डेक विभाग

(1) अंतर्राज्जीय जलयान मास्टर क्लास 1, मास्टर क्लास 2 और मास्टर क्लास 3 / 'सेरंग' के रूप में योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए परीक्षा, परीक्षक द्वारा संबंधित राज्य सरकार में ऐसे स्थानों पर तथा ऐसी तिथियों पर आयोजित की जाएगी जो परीक्षा केंद्र द्वारा प्रकाशित की जा सकती हैं।

(2) परीक्षा के लिए प्रत्येक आवेदन को इन नियमों में संलग्न प्रपत्र 25 के साथ-साथ उनमें उल्लिखित दस्तावेजों की प्रतियों सहित भर कर प्रस्तुत किया जाएगा, और इस तरह के आवेदन के साथ-साथ आवश्यक सहायक दस्तावेजों को नियम 9, नियम 10, नियम 11, नियम 13, नियम 14 और नियम 15 में यथा विस्तृत, उम्मीदवार की पात्रता का पता लगाने के लिए अपेक्षित हैं; जिन्हें परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि संबंधित परीक्षा केंद्रों या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जा सकता है।

(3) एक जलयान के मास्टर के सामान्य उत्तरदायित्वों और प्राधिकार को अनुलग्नक-1 में दर्शाया गया है।

8. अन्तर्देशीय जलयान के मास्टर श्रेणी-1 प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं:

(1) मास्टर श्रेणी-1 प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी:

(क) इन नियमों के अंतर्गत जारी अन्तर्देशीय जलयान के मास्टर क्लास 2 के रूप में योग्यता का एक वैध प्रमाण पत्र प्राप्त हो।

(ख) द्वितीय श्रेणी मास्टर के बाद 3 वर्षों की न्यूनतम ऑनबोर्ड सेवा की हो, जिसमें से एक वर्ष, कम से कम 500 जीटी के जलयान में 12 माह के लिए I-V के द्वितीय श्रेणी मास्टर (जलयान के प्रभारी) के रूप में कार्य किया हो।

(ग) आईडब्ल्यूएआई/विनिर्दिष्ट प्राधिकारी पेनलबद्ध एमबीबीएस चिकित्सा अधिकारी/ जिला सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी/नगरपालिका द्वारा अनुमोदित चिकित्सक द्वारा प्रपत्र संख्या 23 में उनकी शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

(घ) मास्टर श्रेणी 1 के लिए अनुमोदित प्रारंभिक पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लिया है, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा; और मास्टर श्रेणी 1 के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम की न्यूनतम पाठ्यक्रम अवधि, विषयवस्तु और संरचना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुसार होगी, जिसे समय-समय पर दिशानिर्देशों या परिपत्रों के रूप में जारी किया जा सकता है।

(ङ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अन्तर्देशीय जलयानों के लिए चार मूलभूत सुरक्षा पाठ्यक्रमों को पूरा किया हो, नामत:

(i) प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा (ईएफए)

(ii) उत्तरजीविता तकनीकों में प्रवीणता (पीएसटी)

(iii) व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व (पीएसएसआर)

(iv) अग्नि निवारण और अग्निशमन (एफपीएफएफ)

और

(v) विनिर्दिष्ट सुरक्षा कर्तव्यों (एसटीएसडीएसडी) के साथ नाविकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण।

(2) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अन्तर्देशीय जल के किसी विशेष क्षेत्र के लिए यथा अनिवार्य, उपर्युक्त उप-नियम (1) में विनिदष्ट अपेक्षाओं के अलावा अन्य अपेक्षाओं को निर्धारित कर सकती है, जिसके लिए सुरक्षित नौवहन या अन्तर्देशीय जलयान के प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्यक है।

9. अन्तर्देशीय जलयान के मास्टर श्रेणी 2 के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं:

(1) मास्टर श्रेणी-2 प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी:

(क) इन नियमों के अंतर्गत जारी मास्टर क्लास 3 के रूप में योग्यता का एक वैध प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

(ख) 36 माह की न्यूनतम सेवा की हो जिसमें से 12 माह सेरांग के रूप में होनी चाहिए।

(ग) आईडब्ल्यूएआई/विनिर्दिष्ट प्राधिकारी पेनलबद्ध एमबीबीएस चिकित्सा अधिकारी/ जिला सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी/नगरपालिका द्वारा अनुमोदित चिकित्सक द्वारा प्रपत्र संख्या 23 में उनकी शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(घ) मास्टर श्रेणी 2 के लिए अनुमोदित प्रारंभिक पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लिया है, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा; और मास्टर श्रेणी 2 के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम की न्यूनतम पाठ्यक्रम अवधि, विषयवस्तु और संरचना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुसार होगी, जिसे समय-समय पर दिशानिर्देशों या परिपत्रों के रूप में जारी किया जा सकता है।

(ङ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अन्तर्देशीय जलयानों के लिए चार मूलभूत सुरक्षा पाठ्यक्रमों को पूरा किया हो, नामत:

(i) प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा (ईएफए)

(ii) उत्तरजीविता तकनीकों में प्रवीणता (पीएसटी)

(iii) व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व (पीएसएसआर)

(iv) अग्नि निवारण और अग्निशमन (एफपीएफएफ)

और

(v) विनिर्दिष्ट सुरक्षा कर्तव्यों (एसटीएसडीएसडी) के साथ नाविकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण।

(2) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अन्तर्देशीय जल के किसी विशेष क्षेत्र के लिए यथा अनिवार्य, उपर्युक्त उप-नियम (1) में विनिदष्ट अपेक्षाओं के अलावा अन्य अपेक्षाओं को निर्धारित कर सकती है, जिसके लिए सुरक्षित नौवहन या अन्तर्देशीय जलयान के प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्यक है।

10. अन्तर्देशीय जलयान के मास्टर श्रेणी 3/सेरांग के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं

(1) मास्टर श्रेणी-3/सेरांग प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी:

(क) भारत का नागरिक होगा;

(ख) आयु बीस वर्ष से कम नहीं हो।

(ग) चिकित्सीय रूप से स्वस्थ्य हो तथा आईडब्ल्यूएआई/विनिर्दिष्ट प्राधिकारी पेनलबद्ध एमबीबीएस चिकित्सा अधिकारी/ जिला सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी/नगरपालिका द्वारा अनुमोदित चिकित्सक द्वारा प्रपत्र संख्या 23 में उनकी शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(घ) मास्टर श्रेणी 3/ सेरांग के लिए अनुमोदित प्रारंभिक पाठ्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लिया है, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा; और मास्टर श्रेणी 3/ सेरांग के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम की न्यूनतम पाठ्यक्रम अवधि, विषयवस्तु और संरचना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुसार होगी, जिसे समय-समय पर दिशानिर्देशों या परिपत्रों के रूप में जारी किया जा सकता है। I-V पर कम से कम 36 माह की न्यूनतमक सेवा की हो।

(ङ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अन्तर्देशीय जलयानों के लिए चार मूलभूत सुरक्षा पाठ्यक्रमों को पूरा किया हो, नामत:

(i) प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा (ईएफए)

(ii) उत्तरजीविता तकनीकों में प्रवीणता (पीएसटी)

(iii) व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व (पीएसएसआर)

(iv) अग्नि निवारण और अग्निशमन (एफपीएफएफ)

और

(v) विनिर्दिष्ट सुरक्षा कर्तव्यों (एसटीएसडीएसडी) के साथ नाविकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण।

(2) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अन्तर्देशीय जल के किसी विशेष क्षेत्र के लिए यथा अनिवार्य, उपर्युक्त उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अलावा अन्य अपेक्षाओं को निर्धारित कर सकती है, जिसके लिए सुरक्षित नौवहन या अन्तर्देशीय जलयान के प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्यक है।

(3) अन्तर्देशीय जलयानों में सेवारत मौजूदा सेरंगों को सेरंग के रूप में सेवा करने की अनुमति दी जाएगी और नए प्रशिक्षण कार्यक्रम को करने के लिए अधिकतम 2 वर्ष का समय दिया जाएगा।

11. इन नियमों के अधिसूचित होने से पूर्व, मौजूदा लस्कर/ डेक कर्मचारियों के लिए अन्तर्देशीय जलयान के मास्टर श्रेणी-3/सेरांग के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं

(1) इन नियमों के अधिसूचित होने से पूर्व अन्तर्देशीय जलयान में सेवा प्रारंभ करने वाले लस्कर/ डेक कर्मचारियों के प्रमाणन के लिए निम्नवत नियम लागू होंगे;

- (क) केंद्रीय / राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होगा।
- (ख) हिंदी/अंग्रेजी/ राज्य की क्षेत्रीय भाषा पढ़ने और लिखने में सक्षम होगा।
- (ग) निम्नलिखित न्यूनतम सेवा मानदंडों में से किसी एक को पूरा करेगा।
 - (i) कम से कम 500 जीटी के अन्तर्देशीय जलयानों या समुद्री जहाजों पर चार साल की सेवा अथवा
 - (ii) कम से कम 24 मीटर लंबाई के जलयान पर पांच वर्ष, अथवा
 - (iii) कम से कम 15 मीटर लंबाई के जलयान पर छह वर्ष, अथवा
 - (iv) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक रक्षा, पुलिस, प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी या अन्य अर्धसैनिक बलों के जलयानों पर सेवा की हो।

(घ) को कम से कम एक वर्ष की सेवा की हो जो सेवा हेल्म्समैन या सहायक मास्टर (डेक) या सीक्यूनी के रूप में हो,

(2) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अन्तर्देशीय जल के किसी विशेष क्षेत्र के लिए यथा अनिवार्य, उपर्युक्त उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अलावा अन्य अपेक्षाओं को निर्धारित कर सकती है, जिसके लिए सुरक्षित नौवहन या अन्तर्देशीय जलयान के प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्यक है।

12. रेटिंग रूट के माध्यम से नए प्रवेशकर्ताओं के लिए अन्तर्देशीय जलयान के मास्टर श्रेणी-3/सेरांग के प्रमाणन हेतु न्यूनतम अपेक्षाएं–

(1) मौजूदा लस्कर/ डेक कर्मचारियों/ जनरल पर्पस रेटिंग सहित रेटिंग रूट के माध्यम से नए प्रवेशकर्ताओं को निम्नवत न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करना होगा;

- (क) केंद्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।
- (ख) राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त नेशनल इन्लैंड नेवीगेशन इंस्टीट्यूट, पटना अथवा इसी प्रकार के संस्थान में सफलतापूर्वक जनरल पर्पस रेटिंग पाठ्यक्रम पूरा किया हो।
- (ग) अन्तर्देशीय जलयानों अथवा समुद्री जलयान पर कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो जो सेवा हेल्म्समैन या सहायक मास्टर (डेक) या सीक्यूनी के रूप में होगी,

(2) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अन्तर्देशीय जल के किसी विशेष क्षेत्र के लिए यथा अनिवार्य, उपर्युक्त उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अलावा अन्य अपेक्षाओं को निर्धारित कर सकती है, जिसके लिए सुरक्षित नौवहन या अन्तर्देशीय जलयान के प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्यक है।

13. केडिट ट्रेर्निंग रूट के माध्यम से नए प्रवेशकर्ताओं के लिए अन्तर्देशीय जलयान के मास्टर श्रेणी-3/सेरांग के प्रमाणन हेतु न्यूनतम अपेक्षाएं–

(1) केडिट ट्रेनिंग रूट के माध्यम से नए प्रवेशकर्ताओं को निम्नवत न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करना होगा;

(क) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने केंद्रीय / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ख) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी प्रशिक्षण संस्थान, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है, से अन्तर्देशीय जलयान कैडेट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

(ग) अन्तर्देशीय जलयानों अथवा समुद्री जलयान पर कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, बशर्ते कि कुल सेवा 'ऑनबोर्ड वेसल स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम' के अनुरूप 'इनलैंड वेसल केडिट एप्रेंटिसशिप' के रूप में निष्पादित की गई हो, जिसे रिकॉर्ड बुक में सत्यापित किया गया हो और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित या आयोजित किया गया हो, जो सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अपेक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है और राज्य के अन्तर्देशीय जलयानों/ बंदरगाह में चलने वाले जलयानों पर योग्य मास्टर क्लास 1/2/3/ सेरंग की निगरानी के तहत कम से कम छह तक सेवा की हो।

(2) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अन्तर्देशीय जल के किसी विशेष क्षेत्र के लिए यथा अनिवार्य, उपर्युक्त उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अलावा अन्य अपेक्षाओं को निर्धारित कर सकती है, जिसके लिए सुरक्षित नौवहन या अन्तर्देशीय जलयान के प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्यक है।

(3) इन नियमों के तहत प्रदान किए गए सक्षमता प्रमाण पत्र, प्रपत्र संख्या 24 में जारी किया जाने वाले सेवा प्रमाण पत्र के समान ही प्रभावी होगा।

14. अभियांत्रिकी विभाग

(1) 'इनलैंड इंजीनियर' प्रमाण पत्र, इंजन ड्राइवर श्रेणी 1 प्रमाण पत्र, इंजन ड्राइवर श्रेणी 2 के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए परीक्षा, परीक्षक द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के अधीन परीक्षा स्थलों पर, ऐसी तिथियों को आयोजित की जाएगी जो परीक्षा केंद्र द्वारा प्रकाशित की जाएंगी।

(2) परीक्षा के लिए प्रत्येक आवेदन को इन नियमों में संलग्न प्रपत्र 25 के साथ-साथ उनमें उल्लिखित दस्तावेजों की प्रतियों सहित भर कर प्रस्तुत किया जाएगा, और इस प्रकार के आवेदन के साथ-साथ आवश्यक सहायक दस्तावेज, अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण करने लगाने के लिए अपेक्षित हैं; जिन्हें परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि संबंधित परीक्षा केंद्रों या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा घोषित किया जा सकता है।

15. अन्तर्देशीय जलयान के अभियंता के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं:

(1) अन्तर्देशीय जलयान के अभियंता हेतु प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी :

(क) एसएससी और इससे अधिक की शैक्षिक योग्यता के साथ अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम के अंतर्गत इंजन ड्राइवर श्रेणी 1 सक्षमता प्रमाण पत्र धारक हो। (ख) प्रथम श्रेणी इंजन चालक सक्षमता प्राप्त करने के बाद 750 किलोवाट से अधिक प्रणोदन शक्ति वाले जलयानों पर 3 वर्ष की न्यूनतम ऑनबोर्ड सेवा की हो, जिसमें से एक वर्ष आई-वी के प्रथम श्रेणी इंजन चालक (इंजन कक्ष प्रभारी) के रूप में होना चाहिए।

(ग) आईडब्ल्यूएआई/विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा पैनलबद्ध एमबीबीएस मेडिकल प्रैक्टिशनर/जिला सरकार के स्वास्थ्य केंद्र/नगरपालिका द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से प्रपत्र संख्या 23 में अपनी शारीरिक स्वस्थता के बारे में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(घ) अन्तर्देशीय जलयान इंजीनियर के लिए अनुमोदित प्रारंभिक पाठ्यक्रम, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, में सफलतापूर्वक भाग लिया हो।

(ङ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अन्तर्देशीय जलयानों के लिए चार मूलभूत सुरक्षा पाठ्यक्रमों को पूरा किया हो, नामत:

(i) प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा (ईएफए)

(ii) उत्तरजीविता तकनीकों में प्रवीणता (पीएसटी)

- (iii) व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व (पीएसएसआर)
- (iv) अग्नि निवारण और अग्निशमन (एफपीएफएफ)
- (v) विनिर्दिष्ट सुरक्षा कर्तव्यों (एसटीएसडीएसडी) के साथ नाविकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण।

2) इस नियम के प्रयोजनार्थ, अन्तर्देशीय जलयान इंजीनियर के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम की न्यूनतम पाठ्यक्रम अवधि, विषयवस्तु और संरचना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिशानिर्देश या परिपत्रों के रूप में जारी की जाएगी।

16. अन्तर्देशीय जलयान के इंजन ड्राइवर श्रेणी 1 के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं:

(1) अन्तर्देशीय जलयान के इंजन ड्राइवर श्रेणी 1 के प्रमाणन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी निम्नवत योग्यता धारक हो:

(क) अभ्यर्थी के पास अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम के तहत वैध द्वितीय श्रेणी इंजन ड्राइवर, सीओसी होना चाहिए।

36 माह की न्यूनतम सेवा की हो जिसमें से 12 माह द्वितीय श्रेणी इंजन ड्राइवर के रूप में की होनी चाहिए।

(ख) आईडब्ल्यूएआई/विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा पैनलबद्ध एमबीबीएस मेडिकल प्रैक्टिशनर/जिला सरकार के स्वास्थ्य केंद्र/नगरपालिका द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से प्रपत्र संख्या 23 में अपनी शारीरिक स्वस्थता के बारे में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(ग) इंजन ड्राइवर क्लास-1 के लिए अनुमोदित प्रारंभिक पाठ्यक्रम, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, में सफलतापूर्वक भाग लिया हो।

 (घ) आईडब्ल्यूएआई अथवा डीजीएस अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अन्तर्देशीय जलयानों के लिए चार मूलभूत सुरक्षा पाठ्यक्रमों को पूरा किया हो, नामत:

(i) प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा (ईएफए)

(ii) उत्तरजीविता तकनीकों में प्रवीणता (पीएसटी)

(iii) व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व (पीएसएसआर)

(iv) अग्नि निवारण और अग्निशमन (एफपीएफएफ)

- (v) विनिर्दिष्ट सुरक्षा कर्तव्यों (एसटीएसडीएसडी) के साथ नाविकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण।
- (2) इस नियम के प्रयोजनार्थ, इंजन ड्राइवर क्लास-1 के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम की न्यूनतम पाठ्यक्रम अवधि, विषयवस्तु और संरचना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिशानिर्देश अथवा परिपत्रों के रूप यथा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

17. अन्तर्देशीय जलयान के इंजन ड्राइवर श्रेणी 2 के प्रमाणन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं:

- क) आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- ख) एक माह की अवधि का प्रारंभिक पाठ्यक्रम पूरा किया हो और वैध पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र होना चाहिए।

ग) आईडब्ल्यूएआई/विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा पैनलबद्ध एमबीबीएस मेडिकल प्रैक्टिशनर/जिला सरकार के स्वास्थ्य केंद्र/नगरपालिका द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से प्रपत्र संख्या 23 में अपनी शारीरिक स्वस्थता के बारे में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

घ) अन्तर्देशीय जलयानों पर कम से कम 36 माह की सेवा की हो।

ङ) अन्तर्देशीय जलयानों पर सेवारत मौजूदा इंजन ड्राइवर श्रेणी 2 को इंजन ड्राइवर क्लास 2 के रूप में सेवा करने की अनुमति दी जाएगी और नए प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अधिकतम 2 वर्ष का समय दिया जाएगा

18. सेवा का प्रमाण पत्र

(1) कोई भी अभ्यर्थी जिसने 5 वर्ष की अवधि के लिए तटरक्षक, भारतीय नौसेना या नियमित सेना के किसी जलयान के मास्टर, अथवा इंजीनियर के रूप में सेवा की हो, उसे मास्टर क्लास 1, मास्टर क्लास 2, मास्टर क्लास 3/सेरंग, इनलैंड इंजीनियर, इंजन ड्राइवर क्लास 1 अथवा इंजन ड्राइवर क्लास 2 के रूप में सेवा का प्रमाण पत्र प्रदान किया जा सकता है, जो सेवा किए गए जलयान के आकार और सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान के चार मूलभूत सुरक्षा पाठ्यक्रमों सहित प्रासंगिक प्रारंभिक पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने पर निर्भर करता है।

(2) जिन उम्मीदवारों को उपरोक्त उप-नियम (1) का अनुपालन करते हैं, उन्हें लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी, लेकिन मौखिक परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा:

बशर्ते कि, अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए तटरक्षक, भारतीय नौसेना अथवा नियमित सेना द्वारा जारी किए गए सक्षमता के संगत प्रमाण पत्रों को, विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

19. किसी अन्तर्देशीय जलयान को 'जनरल पर्पस रेटिंग' के रूप में कार्यग्रहण करने हेतु न्यूनतम अपेक्षाएं:

(1) 'जनरल पर्पस रेटिंग' के रूप में प्रमाणन हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी निम्नवत योग्यता धारक होगा:

- (क) भारत का नागरिक होगा।
- (ख) 18 वर्ष से कम आयु नहीं होगी।

(ग) अन्तर्देशीय जलयान के मौजूदा डैक/इंजन कर्मियों के लिए कम से कम आठवीं कक्षा उत्ती्र्ण की हो तथा नए प्रवेशार्थियों के मामले में कम से कम दसवीं कक्षा उत्तीतर्ण की हो; (घ) वह आईडब्ल्यूएआई/विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा पैनलबद्ध एमबीबीएस मेडिकल प्रैक्टिशनर/जिला सरकार के स्वास्थ्य केंद्र/नगरपालिका द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी से प्रपत्र संख्या 23 में अपनी शारीरिक स्वस्थता के बारे में एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। (ङ) यदि नया प्रवेशकर्ता, -ने 'जनरल पर्पस रेटिंग' के लिए संबंधित पाठ्यक्रमों को आयोजित करने वाले किसी संस्थान से प्रवेशन प्रशिक्षण पूर्ण किया हो, जिसे सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

(च) यदि मौजूदा डैक/इंजन कर्मियों; ने किसी अन्तर्देशीय जलयान पर सहायक डैक/इंजन कर्मी के रूप में कम से कम 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हों और डैक संभालने के लिए मास्टर श्रेणी 1/2/3 अथवा इंजीनियर/ इंजन ड्राइवर श्रेणी 1/2 से इंजन चलाने के लिए प्रवीणता प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जिसके अंतर्गत उसने सहायक डैक/इंजन कर्मी के रूप में पिछले छह माह तक प्रशिक्षण प्राप्त किया है

बशर्ते कि, मौजूदा डैक/इंजन कर्मियों को 'जनरल पर्पस रेटिंग' में संपरिवर्तन के लिए एक अनुमोदित संपरिवर्तन पाठ्यक्रम करना अपेक्षित होगा और इस प्रकार के संपरिवर्तन पाठ्यक्रम को सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

आईडब्ल्यूएआई अथवा डीजीएस अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अन्तर्देशीय जलयानों के लिए चार मूलभूत सुरक्षा पाठ्यक्रमों को पूरा किया हो, नामत:

(क) प्रारंभिक प्राथमिक चिकित्सा (ईएफए)

- (ख) उत्तरजीविता तकनीकों में प्रवीणता (पीएसटी)
- (ग) व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व (पीएसएसआर)
- (घ) अग्नि निवारण और अग्निशमन (एफपीएफएफ)
- (ङ) विनिर्दिष्ट सुरक्षा कर्तव्यों (एसटीएसडीएसडी) के साथ नाविकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण।

इस नियम के प्रयोजनार्थ, 'जनरल पर्पस रेटिंग' में संपरिवर्तन पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम पाठ्यक्रम की अवधि, विषयवस्तु और संरचना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिशानिर्देश अथवा परिपत्रों के रूप में जारी की जाएगी।

अन्तर्देशीय जलयान पर सेवारत मौजूदा रेटिंग्स/ लस्करों को रेटिंग्स/ लस्करों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाएगी तथा नए प्रशिक्षण कार्यक्रम करने के लिए कम से कम 2 वर्ष का समय दिया जाएगा।

20. सक्षम प्राधिकारी को जानकारी प्रदान करना

(1) राज्य सरकार, संबंधित प्राधिकारी द्वारा तीस (30) दिनों से अनधिक के नियमित अंतराल पर जारी किए गए, प्रदान किए गए, रद्द किए गए या निलंबित किए गए प्रमाणपत्रों संबंधी आंकड़ों और विवरणों के ब्योरे तथा ऐसी अन्य टिप्पणियों के साथ सक्षम प्राधिकारी को जानकारी प्रदान करेगा और अद्यतन करेगी।

> [फा. सं. आईडब्लूटी-11011/91/2021-आईडब्लूटी] सुनील कुमार सिंह, सलाहकार (सांख्यकी)

[अनुलग्नक 1]

मास्टर के उत्तरदायित्व/प्राधिकार

मास्टर पर यात्रा के दौरान जलयान का समग्र उत्तरदायित्व है। कंपनी से सहायता केवल सलाह के रूप में दी जाएगी, अंतिम निर्णय और उत्तरदायित्व मास्टर पर छोड़ दिया जाएगा। वह जलयान की उचित सुरक्षा और जलयान के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है, जिसमें जलयान में मौजूद सभी व्यक्तियों को कार्य सौंपने सहित निम्नवत शामिल हैं:

- निगरानी रखना
- रखरखाव संबंधी आयोजना तथा अनुवर्ती कार्यवाही
- आपातकालीन उपाय तथा अभ्यास
- कार्गो प्रचालन
- जलयान के सुरक्षित संचालन के लिए सभी संगत कार्य।

मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि चालक दल, जलयान और पर्यावरण के सर्वोत्तम हित के मद्देनजर प्रदूषण-रोधी और सुरक्षा उपायों सहित परिणामी दुर्घटनाओं/घटनाओं को कम करने के लिए सभी आपातकालीन प्रक्रियाएं आयोजनाबद्ध की जाएं, और उन्हें उचित आयोजना, प्रशिक्षण और अभ्यास के माध्यम से बनाए रखा जाए।

वह सुनिश्चित करेगा कि सभी जीवनरक्षक और सुरक्षा उपकरणों को हर समय नियमों के अनुसार उचित ढंग से रखा जाए।

मास्टर कंपनी को उन सभी त्रुटियों और अन्य मामलों की जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है जो जलयान के सुरक्षित संचालन को प्रभावित कर सकते हैं अथवा प्रदूषण का खतरा पैदा कर सकते हैं और उनका निराकरण सुनिश्चित करने तथा यह सुनिश्चित करने कि सभी जलयानों प्रचालन हेतु उन्हें लागू किया जाए, इस प्रयोजनार्थ कंपनी की सहायता की आवश्यकता होती है।

निम्नवत द्वारा जारी किए गए नियमों और विनियमों के अनुसार मास्टर जलयान के लिए उत्तरदायी है:

- राष्ट्रीय प्राधिकरणों
- राज्य सरकारों/समुद्री बोर्डों
- क्लासिफिकेशन सोसाइटियां

और उसे परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय लेने का पूरा अधिकार है।

मास्टर हर समय सुरक्षित नौवहन, चालक दल के साथ संबंध, खानपान और कल्याण, बेहतर अनुशासन, चालक दल के प्रदर्शन प्रशिक्षण का मूल्यांकन, परिचितता और काम करने के मनोबल के लिए उत्तरदायी है।

मास्टर, ऑन-बोर्ड पर सभी आवश्यक जानकारियां और संपर्क बनाने के लिए उत्तरदायी है। वह कंपनी, मालिकों के साथ-साथ चार्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है, और यदि आवश्यक हो तो कंपनी, मालिकों, चार्टर्स और किसी भी तीसरे पक्ष के लिए रिपोर्टिंग लाइन है।

मास्टर जलयान, चेस्ट, उपबंधों, खरीद के नियंत्रण से जुड़े लेखांकन के लिए उत्तरदायी है, और यदि आवश्यक हो तो किसी भी विसंगति की जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

उनके मुख्य कार्यों में से एक खुद को पेशेवर तरीके से अपने को अद्यतन बनाए रखना है, ताकि अनुभव और पेशेवर अद्यतन को बढ़ाने के लिए जलयान के कर्मचारियों को अपना अनुभव प्रदान कर सके।

मास्टर, जलयान से कंपनी या किसी भी तीसरे पक्ष के लिए डेटा की 'फीडबैक लाइन' के लिए उत्तरदायी है, जैसा कि आगे के विषयों में वर्णित है।

एक सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि:

मास्टर सभी अनिवार्य नियमों के अनुसार, अपने जलयान की समुद्री यात्रा करने संबंधी योग्यता, नौवहन, कार्गो और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। वह सभी दोषों की पहचान करने के लिए उत्तरदायी है, उनकी जानकारी कंपनी को देने, 'क्लासीफीकेशन सोसाइटी', यदि संगत हो तो, किसी भी तीसरे पक्ष को प्रदान करने और, यदि यह संभव नहीं हो तो, तो उन्हें सीधे 'ऑन-बोर्ड' पर कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी है। मास्टर जानकारी के साथ 'शोर बेस्ड मेनेजमेंट' हेतु सहायता करेगा। इस मामले में, दोनों पक्षों के बीच एक अच्छा संचार, अत्यावश्यक है।

मास्टर, 'ऑन-बोर्ड' सभी रिपोर्टिंग दायित्वों के लिए उत्तरदायी है।

(1)

प्रपत्र संख्या 23

योग्यता प्रमाण परीक्षा में बैठने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र

(आईडब्ल्यूएआई द्वारा पैनलबद्ध एमबीबीएस 'मेडिकल प्रैक्टिशनर'/ सरकारी जिला स्वास्थ्य केंद्र/नगरपालिका द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा भरा जाए)

1. आवेदक का नाम:

2. पहचान पत्र का स्वरूप और नंबर

3. पहचान चिह्न

	(2)	
4(क)	क्या आपके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार आवेदक	हाँ/नहीं
	दृष्टि के किसी भी दोष से पीड़ित हैं?	
	यदि हां, तो क्या इसे उपयुक्त चश्मे द्वारा ठीक किया गया है?	हाँ/नहीं
(ख)	क्या आपके निर्णय के अनुसार, आवेदक लाल और हरे रंगों को	हाँ/नहीं
	आसानी से पहचान सकता है?	
(ग)	आपकी राय में क्या आवेदक अपनी दृष्टि से दिन के प्रकाश में 25	हाँ/नहीं
	मीटर की दूरी से फर्क बताने में सक्षम है?	
(घ)	क्या आपकी राय में आवेदक कुछ हद तक बहरेपन से पीड़ित है	हाँ/नहीं
	जिससे उसे साधारण ध्वनि संकेत सुनाई नहीं देगा ?	
(ङ)	क्या आपकी राय में आवेदक रतौंधी से पीड़ित है?	हाँ/नहीं
	अथवा किसी विकृति से पीड़ित है जो उसे एक ड्राइवर के रूप में	हाँ/नहीं
	अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निष्पादन करने हेतु संख्याओं को	
	पहचानने में हस्तक्षेप करेगा?	

मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने व्यक्तिगत रूप से आवेदक की जांच की है

...... मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि आवेदक की जांच करते समय मैंने दूर की दृष्टि और सुनने की क्षमता, दोनों हाथ, पैर, सिर, दोनों हाथ के जोड़ों की स्थिति पर विशेषरूप से ध्यान दिया है, और मेरे फैसले का सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार वह चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ है/ ड्राइर्विंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए तंदुरूस्त नहीं है।

आवेदक निम्नलिखित कारणों से लाइसेंस धारण करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट नहीं है : -

हस्ताक्षर

1. चिकित्सा अधिकारी / प्रेक्टीशनर का नाम और पदनाम

2. चिकित्सा अधिकारी की पंजीकरण संख्या

तिथि:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे की छाप

नोट: चिकित्सा अधिकारी चिपकाए गए फोटोग्राफ पर इस प्रकार से अपने हस्ताक्षर करेगा कि उसके हस्ताक्षर का कुछ भाग फोटो और और कुछ भाग प्रमाण पत्र पर आए।

प्रपत्र संख्या 24

सेवा प्रमाण पत्र

संख्या		:
नाम		:
का पुत्र/पत्नी/पुत्री		:
स्थायी पता		:
वर्तमान पता		:
जन्म तिथि		:
ऊँचाई		:
पहचान के चिह्न	(1)	
	(2)	

फोटो

<u>हस्ताक्षर अथवा बाएं अंगूठे की छाप</u>

सेना/नौसेना/तटरक्षक बल में आपके सेवा रिकॉर्ड, आपके 'मेडिकल फिटनेस' प्रमाण पत्र और ______के प्रारंभिक मूलभूत पाठ्यक्रम सहित चार मूलभूत सुरक्षा पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र के मूल्यांकन के आधार पर, आपको______अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान (सीमाएं यदि कोई हों तो) पर ______ (मास्टर / सेरंग / इंजीनियर / प्रथम श्रेणी इंजन चालक / द्वितीय श्रेणी इंजन चालक) के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए विधिवत योग्य पाया है, मैं एतद्वारा अन्तर्देशीय जलयान नियम, 2021 के तहत जारी किए गए नियमों के प्रावधानों के तहत आपको ________अन्तर्देशीय यांत्रिक रूप से चालित जलयान (सीमाएं यदि कोई हों तो) पर ______(फर्स्ट श्रेणी मास्टर/ सेकेंड श्रेणी मास्टर/सेरंग/इंजीनियर/प्रथम श्रेणी के इंजन चालक/द्वितीय श्रेणी के इंजन चालक/लास्कर) के रूप में सक्षमता प्रमाणत्र प्रदान करता हं। तिथि: ____

स्थान: ____

मुख्य परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

प्रपत्र संख्या 25

सक्षमता प्रमाण पत्र हेतु परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन प्रपत्र

किसी अन्तर्देशीय जलयान के इंजीनियर / इंजन ड्राइवर/ सेरंग / मास्टर के रूप में कार्य करने के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन

नोट:-आवेदक, परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ विधिवत रूप से भरे गए इस प्रपत्र को परीक्षा केंद्र में जमा करेगा।

भाग-क

व्यक्तिगत विवरण

- (1) पूरा नाम :-
- (2) उपनाम :-
- (3) राष्ट्रीयता :-
- (4) स्थायी पता :-
- :-
- :-
- (5) जन्म तिथि :-
- (6) जन्म स्थान :-

भाग-ख

पिछले सभी प्रमाण पत्र का विवरण	(यदि कोई हों तो)
(1) संख्या	:-
(2) सेवा की योग्यता	:-
(3) ग्रेड	:-
(4) स्थान जहां जारी किया गया है	:-
(5) जारी करने की तिथि	:-

पासपोर्ट आकार की फोटो यदि हां, तो वर्ष और माह का उल्लेख करें।

भाग-ङ

आवेदक द्वारा की जाने वाली घोषणा :

नोट: कोई भी व्यक्ति जो अपने लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए सक्षमता अथवा सेवा संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई भी गलत बयानी करता है अथवा ऐसा करने में सहायता करता है, या सहायक बनता है, वह प्रत्येक अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी देने के साथ- साथ जनसेवक को जानबूझकर झूठी जानकारी देने के लिए भारतीय दंड संहिता , 1860 की धारा 182 के तहत दंडित किया जा सकता है।

<u>घोषणा</u>

मैं, एतद्वारा यह घोषणा करता हूं कि इस प्रपत्र के भाग क, ख, ग, घ और ङ में अंतर्विष्ट विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सटीक और सही है और यह कि भाग-छ में उल्लिखित और इस प्रपत्र के साथ भेजे गए कागजात सही और वास्तविक दस्तावेज हैं, जो उन व्यक्तियों द्वारा दिए गए और हस्ताक्षरित हैं, जिनके नाम उन पर मुद्रित हैं, मैं आगे घोषणा करता हूं कि भाग-छ में अंतर्विष्ट विवरण में बिना किसी अपवाद के मेरी पूरी सेवाओं का सही और सटीक विवरण अंतर्विष्ट है।

तिथि:

आवेदक के हस्ताक्षर

वर्तमान पता	
-------------	--

.....

<u>भाग-च</u>

परीक्षक का प्रमाण पत्र

उपर्युक्त भाग-ङ में अंतर्विष्ट घोषणा पर मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे और रुपये का शुल्क प्राप्त किया।

दिनांक:

<u>भाग-छ</u>

प्रशंसा पत्रों की सूची और नदियों अथवा तटों अथवा समुद्र में की गई सेवा का विवरण

- 1. यदि 'ऑन-बोर्ड' जलयान पर दिया जाता है
 - (i) प्रशंसापत्रों/प्रमाण पत्रों की संख्या (यदि कोई हों):-
 - (ii) जलयान का नाम जहां नियोजित किया गया है:-
 - (iii) उस इंजन की अश्व-शक्ति जिस पर कार्य किया गया था:-
 - (iv) पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री तथा जलयान की आधिकारिक संख्या:-

2. आवेदक की सेवा विवरण:

- (i) क्षमता:-
- (ii) नियुक्ति की तिथि
- (iii) समाप्ति/छोड़ने की तिथि
- (iv) यदि सेवा जारी है तो उल्लेख करें
- (v) सेवा की गई कुल अवधि
 - (क) वर्ष:
 - (ख) माह:
 - (ग) दिन:
- (vi) की गई कुल सेवा
- (vii) तट/नदी पर की गई कुल कुल सेवा
- (viii) वह अवधि जिसके लिए अब प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं : -
- (ix) सेवा की गई अवधि जिसके लिए कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गए है: -

<u>भाग-ज</u>

परीक्षक का प्रमाण पत्र

नोट: - परीक्षक को भाग-ज और झ भरना चाहिए और इस प्रपत्र को प्रशंसापत्र और अन्य प्रमाण पत्रों के साथ मुख्य परीक्षक को अग्रेषित करना चाहिए।

1. परीक्षा की तिथि और स्थान

परीक्षक

2. नीचे दिए गए प्रत्येक मद के समक्ष उल्लेख करें कि उत्तीर्ण हुए अथवा अनुत्तीर्ण हुए:

(i) लिखित परीक्षा में:

- (ii) मौखिक परीक्षा में:
- 3. रैंक जिसके लिए उत्तीर्ण हुए:

<u>भाग-झ</u>

आवेदक का व्यक्तिगत विवरण

1. लंबाई:

मीटर सेंटीमीटर

2. रंग:

3. व्यक्तिगत निशान या विशिष्टताएं, यदि कोई हों तो,

4. रंग (क) बालों का:-

(ख) नेत्रों का:-

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूं कि भाग-ज और भाग-झ में अंतर्विष्ट ब्योरे सही हैं।

तिथि:

स्थान:

परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2022

G.S.R. 142(E).—The draft of the Inland Vessels [Manning] Rules 2022, which the Central Government proposes to make, in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act of 2021(24 of 2021), is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Director (IWT), Ministry of Ports, Shipping & Waterways, Room No. 439, Transport Bhawan, 1-Parliament Street, New Delhi-110001, or by email at abhay.sarode@gov.in and uttam.mishra27@gov.in within the period specified above;

The objections or suggestions which may be received from any person concerning the said draft rules, within the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short Title Commencement

(1) These Rules shall be called the Inland Vessels (Design and Construction) Rules 2022.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions

(1) In these rules, unless the context otherwise requires-

(a) "Act" means Inland Vessels Act 2021(24 of 2021).

(b) "inland vessel" means any mechanically propelled inland vessels as defined under section 3(y) of the Act.

(c) "zone" means any such inland water area, as the State Government may, by notification, declare, depending on the following maximum significant wave height criteria, as Zone 1, Zone 2 and Zone 3, for these rules:

a. Zone 1 means an area (other than Zone 2 or Zone 3) where the maximum significant wave height does not exceed 2.0 metres:

b. Zone 2 means an area (other than Zone 3) where the maximum significant wave height does not exceed 1.2 metres:

c. Zone 3 means an area where the maximum significant wave height does not exceed 0.6 metres:

(d) "Gross Tonnage of a vessel" is the Gross tonnage calculated as per the International Tonnage Convention-1969.

(e) Total power of Engines kW is the total power of propulsion engines

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Inland vessels

For the purpose of these rules, Inland vessels shall be classified as per the following categories: -

(1) The inland vessels, which fall in Category A are decked vessels of any of the following types.

- (a) Cargo vessels which are more than 24 m in length
- (b) Passenger vessels or Ro-Ro passenger ferries which carry more than 50 passengers on board.
- (c) All vessels equipped for tow, having a bollard pull capacity exceeding10 t.

(d) Vessels designed and built to carry petroleum goods, chemicals or liquefied gases bulk as cargo.

(e) Vessels carrying dangerous goods.

Category A vessels shall be designed, constructed and maintained under the survey and requirements of a classification society, who is a member of the International Association of Classification Societies

(2) Category 'B' vessels not covered under Category 'A' or Category 'C'.

Category 'B' vessels shall be designed, constructed and maintained either according to the survey of a classification society, which is a member of International Association of Classification Societies

Further designed and constructed under the survey the survey of classification society, which is the member of International Association of Classification Societies (IACS) and maintained under the survey of the Designated Authority

(3) Category C vessels are of less than 10 m in length.

Category C vessels shall be designed, constructed and maintained under the survey of a classification society, which is a member of the International Association of Classification Societies, and standards prescribed for design, construction and survey considered appropriate by the Designated Authority and maintained under the survey of Designated Authority.

4. Minimum manning

(1) Every inland vessel shall have minimum manning on-board as prescribed under these Rules.

(2) The minimum manning applicable to each inland vessel, shall be recorded by the Surveyor in the Certificate of Survey, in accordance with the type and size of the vessel, its operating area, engine capacity and such other factors as may be directed from time to time by the Central Government, as the case may be.

(3) Every self-propelled inland vessel shall have on board minimum following crew when in operation:

	DECK MANNING				
	GT < 500	$500 \le \text{GT} < 1600$	GT ≥ 1600		
Category A	a) One master with Inland Master Class 3/ Serang Certificate	a) One master with Inland Master Class 2 certificate (b) One Chief Officer with Inland Master Class 2 (b) One Chief Officer with Inland Master Class 2 certificate OR One master with Inland master class 3 certificate having 2 year experience as master class 3 on vessel > 500 GT			
	ENGINE MANNING				
	kW < 425 Propulsion power	Propulsion power: $425 \le kW < 750$	$kW \ge 750$ Propulsion power		
	a) One engineer with Inland Engine Driver Class2 certificate	a) One engineer with Inland Engine Driver Class 1 certificate	 a) One chief engineer with Inland Engineer certificate b) One second engineer with Inland Engine Driver Class 1 CertificateORInland Engine Driver Class 2 certificate with 2 years of exp. 		
		RATINGS			
	GT < 500 and kW< 425	$GT \ge 500 \text{ or } kW \ge 425$			
	a) Three General purpose ratings for attending duties of deck hands, engine hands and cooking	a) Four General purpose rat hands, engine hands and	ings for attending duties of deck cooking		

		DECK MANNING	
	GT < 500	$500 \le \text{GT} < 1600$	GT ≥ 1600
	a) One master with Inland Master Class 3 / Serang certificate	b) One master with Inland Master Class 2 certificate	 (a) One master with Inland Master Class 1 certificate (b) One Chief Officer with Inland Master Class 2 certificate
Category B		ENGINE MANNING	
	kW < 425 Propulsion power	Propulsion power: $425 \le kW < 750$	$kW \ge 750$ Propulsion power
	a) One engineer with Inland Engine Driver Class 2 certificate	 b) One engineer with Inland Engine Driver Class 1 certificate [OR One engineer with Inland Engine Driver class 2 certificate having 2 year experience as Engine Driver class 2 on vessel < 425 KW] 	 (a) One chief engineer with Inland Engineer certificate OR One chief engineer with Inland Engine Driver Class 1 Certificate with 2 year experience as Engine Driver Class 1 on vessel with ≥ 750 kW] (b) One second engineer with Inland Engine Driver Class 1 Certificate OR Inland Engine Driver Class 2 certificate with 2 years of exp.
		RATINGS	
	GT < 500	GT≥	
	b) Two General purpose ratings for attending duties of deck hands, engine hands and cooking	Three General purpose ratings for engine hands and cooking	attending duties of deck hands,
	Minimum manning is to be as accepta		
Note: In the case of Serang, Engine Driver Class 2 and GP rating, the requirements specified above may be complied with within 2 years of coming into force of the Rules.			

(4) Every non self-propelled inland vessel defined Section 3 (y) (ii) of the Act of less than 15m length shall be manned by minimum one General Purpose Rating and every non self-propelled craft of 15m or more in length shall be manned by minimum two General Purpose Ratings

(5) Any self-propelled inland vessel of total propulsion power not exceeding 425 kW shall be deemed to have complied with the requirements of master and engineer provided that such vessel has, as her master and engineer, a person possessing both certificates of appropriate class.

(6) The Designated Authority may specify minimum manning of higher order than prescribed in sub-rule (3) above if other factors like nature of trade of the vessel, length of voyage necessitate such additional manning, in the interest of Safety of life, property, environment and the inland waterways.

5. Appointment of Examiners & Examination Centres

(1) In compliance with Section 36 of the Act, the Chief Examiner appointed by the respective State Government shall be responsible for the Examination and issue of Certificate of Competency to the persons desirous of obtaining such Certificates of Competency.

(2) The Chief Examiner shall be assisted by suitable number of Examiners appointed by the respective State Government.

(3) The list of Examination Centres, norms and standards applicable to such Examination Centres and the conduct of examinations or assessments shall be specified by the respective State Government by circulars issued from time to time.

(4) Each Examination center shall announce its Examination schedule for various Grades based on the assessment of local needs, ensuring adequate frequency of the examination so that the candidates do not have to wait for more than 6 months to appear in the examination from the date of application.

(5) No person shall be appointed as Chief Examiner unless he fulfils one of the following requirements of qualification and experience:

(a) Possesses a Ministry of Transport Master (FG) or M.E.O. Class I Certificate of Competency issued by Director General of Shipping with minimum 8 years experience as Certificated Officer on ships/ State Maritime Boards/ DG Shipping/ Ports ;

(b) Possesses a Ministry of Transport First Mate (FG) or MEO Class II Certificate of Competency issued by Director General of Shipping with minimum 10 years experience as Certificated Officer on ships/ State Maritime Boards/ DG Shipping/ Ports;

(c) Possesses academic qualification of SSC and above along with an Inland Vessel Master Class I or Inland Engineer Certificate with a minimum of 20 years of service onboard inland vessels as Certificated Officer of which at least 5 years must be in the capacity of a master / Chief engineer.

(d) Possesses a Master (NCV) or MEO Class III (NCV CEO) Certificate with a minimum of 20 years of sailing experience of which at least 5 years must be in the capacity of Master/ Chief Engineer

(e) Possesses a qualification as in (a), (b) (c) or (d) above and experience as a faculty or examiner in an Institute or Department of/or approved by Competent Authority/ DG Shipping/ MMD.

Explanation: The tenure of experience as faculty or examiner may be counted towards shipboard/inland vessel experience required under clause (a), (b) (c) and (d) above.

(6) A Chief Examiner shall discharge the following duties;

(a) Supervise overall conduct of examinations for various grades of Certificate of Competency in the State.

(b) Supervise overall issuance of various grades of certificates of competency.

(c) Fix the frequency and schedule of examination for various grades of certificate of competency in State.

(7) No person shall be appointed as an Examiner unless he fulfils one of the following requirements of qualification and experience:

(a) Possesses a Ministry of Transport Master (FG) or M.E.O. Class I Certificate of Competency issued by Director General of Shipping with minimum 5 years experience as Certificated Officer on ships/ State Maritime Boards/ DG Shipping/ Ports ;

(b) possesses a Ministry of Transport First Mate (FG) or MEO Class II Certificate of Competency issued by Director General of Shipping with minimum 7 years experience as Certificated Officer on ships/ State Maritime Boards/ DG Shipping/ Ports ;

(c) Possesses academic qualification SSC and above along with an Inland Vessel Master Class I or Inland Engineer Certificate with a minimum of 15 years of service onboard inland vessels as Certificated Officer of which at least 5 years must be in the capacity of a master / Chief engineer.

(d) Possesses a Master (NCV) or MEO Class III (NCV CEO) Certificate with a minimum of 15 years of sailing experience of which at least 5 years must be in the capacity of Master/ Chief Engineer.

(e) Possesses a qualification as in (a), (b) (c) or (d) above and experience as a faculty or examiner in an Institute or Department of/or approved by Competent Authority/ DG Shipping/ MMD.

Explanation: The tenure of experience as faculty or examiner may be counted towards shipboard/inland vessel experience required under clause (a), (b) (c) and (d) above.

(8) An Examiner shall discharge the following duties; namely:-

(a) Supervise and conduct examinations for various grades of Certificate of Competency at an examination centre.

(b) Issuance of various grades of certificates of competency.

(c) evaluate the persons who have undergone exams and training programmes and to report the list of successful candidates to the chief examiner.

(d) Assist Chief Examiner in discharge of his duties and responsibilities.

(9) For the purposes of this Rule and Section 37 (1) of the Act, the respective State Governments may evaluate the report provided by examiners to the Chief Examiner.

6. Issuance of Certificate of Competency

(1) No candidate shall be granted a Certificate of Competency under these Rules unless he secures minimum marks or aggregate marks, as the case may be; which is decided to be the minimum mark required to declare him or her as a successful candidate.

(2) The examination for each grade of Certificate of Competency shall comprise of a written and oral examination; which shall be based on the syllabus for each grade of examination, as may be issued by the Competent Authority in the form of circulars from time to time.

(3) The sub-rule (2) above does not apply to issuance of Certificate of Service issued under these Rules.

(4) A Certificate of Competency may be issued for the following grades, namely:

(a) Deck Department-

(i) Master Class 1 Certificate

(ii) Master Class 2

(iii) Master Class 3 / Serang Certificate

(b) Engine Department-

(i) Inland Engineer Certificate

(ii) Engine Driver Class 1

(iii) Engine Driver Class 2 Certificate

7. Master and Deck Department

(1) Examination for the grant of Certificate of Competency as inland vessel Master Class 1, Master Class 2 and Master Class 3 / Serang shall be held by the examiner at the places of examination in the respective State Government on such dates as may be published by the examination centre.

(2) Every application for examination shall be filled and submitted in Form 25 appended to these rules together with copies of documents stated therein and such application along with the supporting documents required for ascertaining eligibility of the candidate detailed in Rule 9, Rule 10, Rule 11, Rule 13, Rule 14 and Rule 15 herein; shall be submitted at the examination centre as per the scheduled date as may be declared by the respective examination centres or the designated authority.

8.

(3) The general responsibilities and authority of Master of a vessel are indicated in Annex 1.

Minimum requirements for certification of Master Class 1 of an inland vessel:

(1) Every candidate for certification as Master Class 1 shall:

(a) Hold a valid Certificate of Competency as Master Class 2 of an inland vessel issued under these rules.

(b) have a minimum onboard service of 3 years after 2nd Class Master, out of which one year as 2nd Class Master (in-charge of the vessel) of I-V for minimum 12 months in vessels not less than 500 GT.

(c) Produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 23from an IWAI/ Designated Authority empanelled MBBS medical practitioner / medical officer of district government health centre/municipality approved doctor.

(d) Have successfully attended approved Preparatory Course for Master Class 1, which shall be approved by the competent authority ; and the minimum course duration, contents and structure of the Preparatory Course for Master Class 1 shall be as per the training programmes approved by the competent authority, which may be issued as guidelines or circulars, from time to time.

(e) Have completed the four basic safety courses for inland vessels approved by competent authority namely:

(i) Elementary First Aid (EFA)

(ii) Proficiency in survival techniques (PST)

(iii) Personal safety and social responsibility (PSSR)

(iv) Fire Prevention and Fire Fighting (FPFF) and

(v) Security Training For Seafarers With Designated Security Duties (STSDSD)

(2) Notwithstanding anything contained in this Rule, the State Government may stipulate requirements, other than those specified in sub-rule (1) above, as mandatory for any particular area of inland water, which requires compliance with the said requirements to ensure safe navigation or operation of inland vessel.

9. Minimum requirements for certification of Master Class 2 of an inland vessel:

(1) Every candidate for certification as Master Class 2 shall:

(a) be in possession of valid Master Class 3/Serang Certificate of Competency issued under these rules.

(b) have a minimum service of 36 Months out of which 12 Months should be as Serang.

(c) Shall produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 23from an IWAI / Designated Authority empanelled MBBS medical practitioner/ medical officer of district government health centre/municipality approved doctor.

(d) Have successfully attended approved Preparatory Course for Master Class 2, which shall be approved by the competent authority; and the minimum course duration, contents and structure of the Preparatory Course for Master Class 2 shall be as per the training programmes approved by the competent authority, which may be issued as guidelines or circulars, from time to time.

(e) Have completed the four basic safety courses for inland vessels approved by competent authority namely:

(i) Elementary First Aid (EFA)

(ii) Proficiency in survival techniques (PST)

(iii) Personal safety and social responsibility (PSSR)

(iv) Fire Prevention and Fire Fighting (FPFF)

and

(v) Security Training For Seafarers With Designated Security Duties (STSDSD)

(2) Notwithstanding anything contained in this Rule, the State Government may stipulate requirements, other than those specified in sub-rule (1) above, as mandatory for any particular area of inland water, which requires compliance with the said requirements to ensure safe navigation or operation of inland vessel.

10. Minimum requirements for certification of Master Class 3/Serang of an inland vessel:

(1) Every candidate for certification as Master Class 3/Serang shall be:

- (a) A Citizen of India
- (b) Not less than twenty one years of age

(c) Medically fit and produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 23 from an IWAI /Designated Authority empanelled MBBS medical practitioner/ medical officer of district government health centre/municipality approved doctor.

(d) Have successfully attended approved Preparatory Course for Master Class 3/Serang, which shall be approved by the competent authority; and the minimum course duration, contents and structure of the Preparatory Course for Master Class 3/Serang shall be as per the training programmes approved by the competent authority, which may be issued as guidelines or circulars, from time to time. Must have minimum service of 36 Months on I-Vs

(e) Have completed the four basic safety courses for inland vessels approved by competent authority namely:

- (i) Elementary First Aid (EFA)
- (ii) Proficiency in survival techniques (PST)
- (iii) Personal safety and social responsibility (PSSR)
- (iv) Fire Prevention and Fire Fighting (FPFF)
- and
- (v) Security Training For Seafarers With Designated Security Duties (STSDSD)

(2) Notwithstanding anything contained in this Rule, the State Government may stipulate requirements, other than those specified in sub-rule (1) above, as mandatory for any particular area of inland water, which requires compliance with the said requirements to ensure safe navigation or operation of inland vessel.

(3) Existing Serangs serving on Inland Vessels shall be allowed to serve as Serangs and given maximum 2 years of time to undergo new training program

11. Minimum requirements for certification of Master Class 3/Serang of an inland vesselfor existing Lascars/Deck Hands prior to enactment of these Rules

(1) For the purposes of certification of Lascars/Deck Hands, who have started services in inland vessels before the enactment of these rules), the following shall apply;

- (a) Shall be 8th class pass from a board recognized by Central/State
- (b) Be able to read and write Hindi/English/ Regional Language of the State
- (c) Meeting any one of the following minimum service criteria
 - Four years of service on Inland vessels or sea going vessels of not less than 500 GT or

(ii) Five years on vessels of not less than 24 m in length or

(iii) Six years on vessel not less than 15 m in length, or

(iv) such candidates who have served on the vessels of Defence, Police,ProvincialArmedConstabulary or other Paramilitary forces for 5 years or more.

(d) should have performed at least one year of which service shall be as helmsman or an Assistant Master (Deck) or Seacunny,

(2) Notwithstanding anything contained in this Rule, the State Government may stipulate requirements, other than those specified in sub-rule (1) above, as mandatory for any particular area of inland water, which requires compliance with the said requirements to ensure safe navigation or operation of inland vessel.

12. Minimum requirements for certification of Master Class 3/Serang of an inland vessel for New Entrants Through Rating Route –

(1) For the purposes of certification of new entrants through rating route, including existing Lascars/Deck Hands/General Purpose Rating shall meet the following requirements;

(a) Passed 10th class examination from board recognized by Central / State Government.

(b) Successfully completed General Purpose Rating Course at National Inland Navigation Institute, Patna or similar training establishment approved by the State

(c) Have minimum three years of services on Inland vessels or sea going vessels out of which one year of the service shall be as helmsman or as Seacunny.

(2) Notwithstanding anything contained in this Rule, the State Government may stipulate requirements, other than those specified in sub-rule (1) above, as mandatory for any particular area of inland water, which requires compliance with the said requirements to ensure safe navigation or operation of inland vessel.

13. Minimum requirements for certification of Master Class 3/Serang of an inland vessel for New Entrants Through Cadet Training Route –

(1) For the purposes of certification of new entrants through cadet training route, shall meet the following requirements;

(a) Such candidates who have passed class 12th class examination from board recognised by the Central Government or the State Government.

(b) Successfully completed Inland Vessel Cadets Training from any training institute approved by the State Government, which conducts training programmes approved by the Competent Authority

(c) Shall have two years of services on Inland vessels or sea going vessels provided the total service has been performed as Inland Vessel cadet apprentice with onboard vessel Structured Training Program verified in record book and approved or conducted by the State Government, which conducts the requisite training programmes approved by the Competent Authority and should have performed at least six months watch keeping service under qualified Master Class 1/2/3/Serang on board the vessel plying in the port/Inland vessels of the State.

(2) Notwithstanding anything contained in this Rule, the State Government may stipulate requirements, other than those specified in sub-rule (1) above, as mandatory for any particular area of inland water, which requires compliance with the said requirements to ensure safe navigation or operation of inland vessel.

(3) A certificate of service which shall be issued in Form no. 24shall have the same effect as a certificate of competency granted under these Rules.

14. Engineering Department

(1) Examination for the grant of certificate of competency as Inland Engineer Certificate, Engine Driver Class 1 Certificate, Engine Driver Class 2 shall be held by the examiner at the places of examination in the respective State Governments, on such dates as may be published by the examination centre.

(2) Every application for examination shall be filled and submitted in Form No. 25appended to these rules together with copies of documents stated therein and such application along with the supporting documents required for ascertaining eligibility of the candidate, shall be submitted at the examination centre before the scheduled date as may be declared by the respective examination centres or the designated authority.

15. Minimum requirements for certification of Engineer of an Inland vessel:

- (1) Every candidate for certification as Inland Vessel Engineer shall be:
 - a) In possession of Engine Driver Class 1 Competency Service issued under the Inland Vessels Act along with academic qualification SSC and above
 - b) There should be minimum onboard service of 3 years on vessels having propulsion power more than 750 kW, after 1st Class Engine Driver competency out of which one year as 1st Class Engine Driver (Engine room in-charge) of I-V.
 - c) Shall produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 23from an IWAI / Designated Authority empanelled MBBS medical practitioner/ medical officer of district government health centre/municipality approved doctor.
 - d) Shall have successfully attended approved Preparatory Course for Inland Vessel Engineer, which shall be approved by Competent Authority.
 - e) Have completed the four basic safety courses for inland vessels approved by the Competent Authority namely:
 - (i) Elementary First Aid (EFA)
 - (ii) Proficiency in survival techniques (PST)
 - (iii) Personal safety and social responsibility (PSSR)
 - (iv) Fire Prevention and Fire Fighting (FPFF)
 - (v) Security Training For Seafarers With Designated Security Duties (STSDSD)

2) For the purpose of this Rule, the minimum course duration, contents and structure of the Preparatory Course for Inland Vessel Engineer shall be issued by the Competent Authority as guideline or circulars, from time to time.

16. Minimum requirements for certification of Engine Driver Class 1 of an inland vessel:

(1) Every candidate for certification as Engine Driver Class 1 shall:

(a) Candidates must be in possession of valid 2nd Class Engine Driver, COC issued under the IV Act.

Minimum service of 36 Months out of which 12 Months should be as 2nd Class Engine Driver.

(b). Produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 23from an IWAI / Designated Authority empanelled MBBS medical practitioner/ medical officer of district government health centre/municipality approved doctor.

(c) have successfully attended approved Preparatory Course for Engine Driver Class1, which shall be approved by the Competent Authority.

(d) have completed the four basic safety courses for inland vessels approved by IWAI or DGS or State Government namely:

(i) Elementary First Aid (EFA)

- (ii) Proficiency in survival techniques (PST)
- (iii) Personal safety and social responsibility (PSSR)
- (iv) Fire Prevention and Fire Fighting (FPFF)
- (v) Security Training For Seafarers With Designated Security Duties (STSDSD)

(2) For the purpose of this Rule, the minimum course duration, contents and structure of the Preparatory Course for Engine Driver Class 1 shall be as may be specified by the Competent Authority as guideline or circulars, from time to time.

17. Minimum requirements for certification of Engine Driver Class 2 of an inland vessel:

- a) Age should not be less than 21 years.
- b) Must have completed preparatory course of 1 month duration and to possess valid Course Completion Certificate.
- c) Produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 23. from an IWAI/ Designated Authority empanelled MBBS medical practitioner/ medical officer of district government health centre/municipality approved doctor.
- d) Must have minimum service of 36 Months on I-Vs.
- e) Existing Engine Driver Class 2 serving on Inland Vessels shall be allowed to serve as Engine Driver Class 2 and given maximum 2 years of time to undergo new training program

18. Certificate of Service

(1) A candidate who has served as a master, or as an engineer of a vessel of the Coast Guard, Indian Navy or regular Army for a period of 5 years may be granted a certificate of service as a Master Class 1, Master Class 2,Master Class 3/serang, Inland Engineer, Engine driver Class1 or Engine driver Class2 depending on the size of vessel served and on successful completion of relevant preparatory course including the four basic safety courses from any institute recognized by the Competent Authority.

(2) Candidates who are found to have complied with sub-rule (1) above, shall be exempted from written examination, but will be required to qualify the oral examination:

Provided that relevant certificates of competence issued by the Coast Guard, Indian Navy or regular Army submitted by the applicant, shall be verified by the Designated Authority.

19. Minimum requirements to join as General Purpose Rating of an inland vessel:

(1) Every candidate for certification as General Purpose Rating shall:

- (a) be a citizen of India
- (b) be not less than 18 years of age

(c) have passed minimum 8th class for existing Deck/Engine Hands of inland vessel and passed minimum 10^{th} for new entrants;

(d) produce a medical certificate as to his physical fitness in Form No. 23from an IWAI/ Designated Authority empanelled MBBS medical practitioner/ medical officer of district government health centre/municipality approved doctor.

(e) If new entrant, -have completed approved induction training for General Purpose Ratings at any institute conducting the respective training courses, which is approved by the Competent Authority

(f) If Existing Deck/Engine Hand; have completed minimum 2 years as assistant Deck/Engine Hand on an Inland Vessel and have obtained a Certificate of Proficiency from a Master Class 1/2/3 for Deck Hand or from Engineer/Engine Driver Class 1/2 for Engine Hand under whom he has completed last six months of training as assistant deck/engine hand.

Provided that, the existing Deck/Engine Hands will be required to undergo an approved conversion course to General Purpose Rating and such Conversion Course is to be approved by the Competent Authority.

Have completed the four basic safety courses for inland vessels approved by IWAI or DGS or State Government namely:

- a) Elementary First Aid (EFA)
- b) Proficiency in survival techniques (PST)
- c) Personal safety and social responsibility (PSSR)
- d) Fire Prevention and Fire Fighting (FPFF)
- e) Security Training For Seafarers With Designated Security Duties (STSDSD)

For the purpose of this Rule, the minimum course duration, contents and structure of the conversion course to General Purpose Rating shall be as may be issued by the Competent Authority as guideline or circulars, from time to time.

Existing ratings/lascars serving on Inland Vessels shall be allowed to serve as ratings/lascars and given minimum 2 years of time to undergo new training program.

20. Reporting to Competent Authority

(1) The State Government shall report and update the Competent Authority with the information on data and details of certificates issued, granted, cancelled or suspended or such other remarks, made by the respective authority at regular intervals of not more than thirty (30) days.

[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT]

SUNIL KUMAR SINGH, Adviser (Statistics)

[Annex 1]

MASTER'S RESPONSIBILITIES / AUTHORITY

The Master has overall responsibility on board the vessel. Assistance from the Company will be given as advice only, leaving the final decision and responsibility with the Master.

He is responsible for proper ship safety and maintenance of the vessel including assigning tasks to all persons on board including:

- Watch keeping
- Maintenance planning and follow-up
- Emergency measures and drills
- Cargo operations
- All tasks relevant to safe ship operation.

The Master shall ensure that all emergency procedures are defined and maintained through planning, training and drills in view to minimize the consequences if accidents / incidents should occur, including anti-pollution and safety measures, in the best interest of crew, vessel and environment.

He has to ensure that all lifesaving and safety equipments are kept in a proper order according to regulations at all times.

The Master is responsible to report to the Company all defects and other matters which could affect the safe operation of the ship or could present a risk of pollution, and which require the assistance of the Company to ensure that they are rectified and implemented on board of all vessels concerned.

The Master is responsible for the vessel in accordance with rules and regulations issued by :

- National authorities
- State Governments/ Maritime Boards
- Classification societies

and has full Authority to take the proper decision according to the circumstances.

The Master is responsible for the safe navigation at all times, crew relation, catering and welfare, good discipline, evaluation of crew performance training, familiarisation and working morale

The Master is responsible for all necessary reporting and liaisons on board. He represents the Company, the owners as well as the charterers, and is the reporting line to the Company, owners, charterers, and any third party if required.

The Master is responsible for accounting of the vessel, chest, provisions, control of purchasing, and if necessary to report any discrepancy.

One of his main functions is to keep himself professionally up to date, to provide his experience to the ship's staff in a way to increase experience and professional updating.

The Master is responsible for the feedback line of data from the ship to the company or any third party, as described in further subjects.

As a **summary** we could say that:

The Master is responsible for the seaworthiness, navigation, cargo and maintenance of his vessel, according to all mandatory regulations. He is responsible to identify all defects, to report them to the Company, to the Classification Society, to any third party if relevant, and, if this is not possible, to handle them directly on board. The Master will assist the shore based management with information. A good communication between both parties is, in this matter, vital.

The Master is responsible for all reporting obligations on board.

FORM No. 23

Medical Certificate for appearing in Certificate of Competency

(To be filled in by IWAI empanelled MBBS medical practitioner / medical officer of district government health centre/municipality approved doctor.

- 1. Name of applicant:
- 2. Type of ID and Number
- 3. Identification Marks (1)

(2)

4(a)	Does the applicant to the best of your Judgment suffer from any defect of vision? If so, has it been corrected by suitable spectacle?	Yes/No Yes/No
		I es/Ino
(b)	Can the applicant to the best of your judgment readily distinguish the pigmentary colours, red and green?	Yes/No
(c)	In your opinion is he able to distinguish with his eyesight at a distance of 25 meters in good day light?	Yes/No
(d)	In your opinion does the applicant suffer from a degree of deafness which would prevent his hearing, the ordinary sound signals?	Yes/No
(e)	In the opinion does the applicant suffer from night blindness? Or deformity or lose of number which would interfere with	

The efficient performance of his duties as a driver? so, give your reasons in details:

I certify that I have personally examined the applicantI also certify that while examining the applicant I have directed special attention to the distant vision and hearing ability the condition of the arms, legs, heads, hand joints of both extremities of the candidate and to the best of my judgment the is medically fit/not fit to hold a driving licence.

The applications not medically fit to hold a licence for the following reasons:-

Signature

1. Name and designation of the Medical Officer/Practitioner

(Seal)

2. Registration Number of Medical Officer

Date:

Signature or thumb impression of the Candidate

Note: The Medical Officer shall affix his signature over the Photograph affixed in such a manner that part of his signature is upon the photograph and part on the certificate.

FORM No. 24

Certificate of Service

:
:
:
:
:

Yes/No If

РНОТО

Signature or Left Thumb Impression

Based on assessment of your service record in Army / Navy/ Coast Guard, your medical fitness certificate and the preparatory course for_ together with the 4 basic safety course certificates, you have been found duly qualified fulfil the duties to of (Master/Serang/Engineer/First class Engine Driver/Second class Engine а Driver) on an Inland mechanically propelled Vessel (limitations, if any), I do hereby under the provisions of the rules issued under Inland Vessels Rules, 2021 grant you the certificate of competency as a_ _ (First class Master/ Second class Master/Serang/Engineer/First class Engine Driver/Second class Engine Driver/ Lascar) on an inland mechanically propelled vessel (limitations, if any).

Date.....

Place.....

Name and signature of Chief Examiner

FORM No.25

Application Form for appearing in Certificate of Competency

APPLICATION FOR CERTIFICATE OF COMPETENCY TO ACT AS ENGINEER/ ENGINE DRIVER/ SERANG/MASTER OF AN INLAND VESSEL.

Note:-The applicant shall submit this form duly filled in along with the necessary certificates to the examination centre for permission to appear in the examination.

PART-A

Personal particulars

- (1) Name in full :-
- (2) Surname :-
- (3) Nationality :-

:-

٠._

- (4) Permanent Address
- (5) Date of birth
- (6) Place of birth :-

PART-B

Particulars of all previous certificate(if any)

(1) Number :-

Passport size photograph of the applicant

36	TH	E GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY	[PART II—SEC. 3(i)]
(2)	Competency of service	:-	
(3)	Grade	:-	
(4)	Where issued	:-	
(5)	Date of issue	:-	
(6)	Is the certificate at any ti	me suspended or cancelled by court or authorit	ty (if yes provide details)

PART-C

Certificate now required

(1)	Grade	:-
(2)	Competency	:-

PART-D

HAVE YOU APPEARED FOR THIS EXAMINATION EARLIER? Yes/No.

If Yes mention year & month.

PART-E

Declaration to be made by applicant:

N.B.Any person who makes, procures to be made or assists in making any false representation for the purpose of obtaining for himself, or any other person, a certificate either of competency or service, is for each offence liable to be punished for cheating under Section 420 of the Indian Penal Code and also for knowingly giving false information to the public servant under section 182 of the Indian Penal Code, of 1860.

DECLARATION

I do hereby declare that the particulars contained in Part A, B, C, D & E of this form are correct and true to the best of my knowledge and belief, and that the papers enumerated in Part-G and sent with this form are true and genuine documents, given and signed by the persons whose names appear on them, I further declare that the statement in Part-G contains true and correct account of the whole of my services without exception.

Date.....

Signature of the Applicant

•••	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•••	•	•••	•	•	•••	•	•	• •	•••	•	•••	•••	••

PART-F

CERTIFICATE OF THE EXAMINER

The declaration under Part-E above was signed in my presence and the fee of Rs..... received.

Date:

Examiner

PART-G

LIST OF TESTIMONIALS AND STATEMENT OF SERVICE ON RIVERS OR SHORE OR SEA

- 1. If served on board vessel
- (i) No. of testimonials/ certificates(if any:-
- (ii) Name of vessel where employed:-
- (iii) Horse power of the engine on which worked:-
- (iv) Port of registry and official no. of the vessel:-

- -

2.	Service particulars of the Applicant:
(i)	Capacity:-
(ii)	Date of appointment
(iii)	Date of termination/leaving
(iv)	State if continuing
(v)	Total period served
a)	Years:
b)	Months:
c)	Days:
(vi)	Total service
(vii)	Total service on shore/river:
(viii)	Period served for which certificates are now produced:-
(ix)	Period served for which no certificates are produced:-

PART-H

CERTIFICATE OF THE EXAMINER

Note:- The examiner should fill up Part-H and I and forward this form to the Chief Examiner along with the testimonials and other certificates.

1. Date and place of examination

- 2. Insert passed or failed against each item below:
- (i) In written examination:
- (ii) In the viva examination:
- 3. Rank for which passed:

PART-I

PERSONALDESCRIPTIONOFAPPLICANT

- 1. Height: Meters Centimeters
- 2. Complexion:
- 3. Personal marks or peculiarities, if any,
- 4. Colour of
- (a) Hair:-
- (b) Eyes:-

I hereby certify that the particulars contained in Part-H and Part-I are correct.

Date.....

Place.....

Name and signature of examiner